भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1182**
(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 03 दिसंबर,2024 को उत्तर दिये जाने के लिए

आपूर्ति श्रृंखला तन्यकता

1182. श्री बैजयंत पांडा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) में विशेष रूप से सप्लाई चेन रेजिलिएशन समझौते में भारत की भूमिका का ब्यौरा क्या है:

(ख) भारतीय निर्माताओं और निर्यातकों को इस समझौते से क्या लाभ मिलने की आशा है; और

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की आपूर्ति श्रृंखला तन्यकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत ने इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) के तहत आपूर्ति श्रृंखला रेजिलिएंस करार (स्तंभ-II) पर नवंबर 2023 में हस्ताक्षर किए हैं, जो इस क्षेत्र में 14 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है। इस करार का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। यह करार 24 फरवरी, 2024 को लागू हुआ। करार के तहत, अमेरिका की अध्यक्षता में एक आपूर्ति श्रृंखला परिषद की स्थापना की गई है और भारत उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

(ख) एवं (ग) आईपीईएफ भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गत्यात्मकता के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। करार का उद्देश्य सभी पक्षों की अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमों के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करना और महत्वपूर्ण सेक्टरों में आपूर्ति श्रृंखला रेजिलिएंस में सुधार करना है। करार का अनुच्छेद

6.10, आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखलाओं के रेजिलिएंस, दक्षता, उत्पादकता, संधारणीयता, समावेशिता आदि में सुधार के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

करार का अनुच्छेद 10, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने या महत्वपूर्ण या व्यापक आर्थिक विघटन की रोकथाम के लिए आईपीईएफ भागीदारों द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रों या प्रमुख वस्तुओं की पहचान करने का प्रावधान करता है। भारत आपूर्ति श्रृंखला रेजिलिएंसी के लिए आईपीईएफ भागीदारों के साथ सहयोग के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों या प्रमुख वस्तुओं की पहचान के लिए उद्योग, अकादामिया, विशेषज्ञों आदि जैसे हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। सितंबर 2024 में, वाशिंगटन में पहली एससीसी बैठक में सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और रसायन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कार्य योजना टीमों का गठन किया गया। बैठक में भारत ने स्वास्थ्य सेवा/फार्मा क्षेत्र पर प्रस्तावित कार्य योजना टीम का नेतृत्व करने की इच्छा व्यक्त की है। लॉजिस्टिक्स और वस्तुओं की आवाजाही और डेटा और एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने वाली दो उप-समितियाँ भी बनाई गई हैं। भारत ने सितंबर 2024 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क की पहली बैठक में भाग लिया, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान की अत्यधिक संभावना वाले परिदृश्यों का सिमुलेशन करके वास्तविक संकट स्थितियों में प्रतिक्रिया समय को कम करने के उद्देश्य से एक टेबलटॉप अभ्यास शामिल था।

इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में वाणिज्य विभाग द्वारा यूएसए के साथ दो समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं: एक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में और दूसरा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में, ये दोनों भारत के इन क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला रेजिलिएंस हासिल करने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।

****